

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

सं. 06/2020-एकीकृत

सा.का.नि. 640(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, अधिसूचना संख्यांक 4/2017-एकीकृत कर, तारीख 28 जून, 2017 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 697(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 5/2017-एकीकृत कर, तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, सारणी के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

“सारणी

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त	नाम पद्धति संहिता के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अंको की संख्या (एच एस एन कोड)
(1)	(2)	(3)
1.	पांच करोड़ रुपए तक	4
2.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	6

बशर्ते कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक है, उक्त नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किसी (अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों की आपूर्ति के) कर बीजक में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट एचएसएल कोड के अंकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है।”

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 5/2017-एकीकृत कर, तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्यांक 697(अ) तारीख, 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 06/2020—Integrated Tax

G.S.R. 640(E).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, read with notification No. 4/2017-Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, with effect from the 01st day of April, 2021, for the Table, the following shall be substituted, namely, -

“TABLE

Serial Number (1)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code (HSN Code)
	(2)	(3)
1.	Up to rupees five crores	4
2.	more than rupees five crores	6

Provided that a registered person having aggregate turnover up to five crores rupees in the previous financial year may not mention the number of digits of HSN Code, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered persons.”

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 5/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 28th June, 2017.